3. सिफारिशों का सार

- रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय को कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों में वायु, जल तथा शोर प्रदूषण से संबंधित सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मानीटरन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। नियंत्रण उपकरणों के प्रावधान और उनको चालू हालत में रखने को उचित महत्व दिए जाने की आवध्यकता है;

- भूजल के संदूषण से बचने के उद्देश्य से एसपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार ईटीपी कीचड के उचित निपटान हेतु कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है;

- ऊर्जा संरक्षण साधनों को लागू करने के लिए सुपरिभाषित लक्ष्य तैयार करने की सभी कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड के विद्युत निदेशालय को लक्ष्य प्राप्त करने और लक्ष्य प्राप्त

करने में कमी के प्रभाव के विश्लेषण का गहनता से मानीटरन किए जाने की आवश्यकता है;

- *काम में लाई जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा जैसे वायु तथा सौर ऊर्जा के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय रेल की 2020 की संकल्पना प्राप्त की जा सके;*

- *रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय को प्रभावीरूप से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जल पुनः चक्रण संयत्रों तथा वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना करने के उसके निर्देशों का समयबद्ध रीति में पालन किया गया है;*

- *रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय तथा भण्डार निदेशालय को खतरनाक अपशिष्टों के उचित लेखाकरण, प्रहस्तन तथा निपटान से सम्बन्धित सांविधिक प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन के लिए एक मानीटरन तथा स्थापित करने की आवश्यकता है;*

- *रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय को सभी कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों के श्रमिकों के चिकित्सा अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।*